न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 26/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. हुसैना
2. असरू | पिस0 अडीमल जातियान मेव निवासीयान ग्राम सीकरी तह0 नगर
3. उसमान

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार नगर

—— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री दिनेशचन्द गुप्ता, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक

वादीगण ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 बाके ग्राम सीकरीपट्टी तह0 नगर को वादीगण ने बालमुकंद पुत्र विशनदास कौम खत्री निवासी सीकरी से जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 14.07.1986 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उक्त वयनामा का नामा0 संख्या 513 दर्ज वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है । वादीगण की बिना सुनवाई किये राजस्व रिकार्ड में आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 में से 33/97 हिस्सा मकबूजा सरकार दर्ज कर दिया गया तथा शेष 64/97 हिस्सा वादी0 के नाम रखा है । वादी उस्मान ने अपने नाम दर्ज शेष हिस्सा के तिहाई हिस्सा में से 2/9 हिस्सा साधूसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह को तथा 1/9 हिस्सा मुशीद को बेचान कर दिया जिनका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है जिससे कोई विवाद नही है । 33/97 हिस्सा ही विवादित है जिससे लैण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा बनाया है । नामा0 संख्या 580 से आ0ख0नं0 1939/1.90 गै0मु0 रास्ता मे से 32/190 हिस्सा पर जगदीश लाल पुत्र चुन्नीलाल कौम खत्री को खातेदार करते हुए किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर डहरी प्रथम उपखण्ड अधिकारी डीग ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट

क्रमांक/789 दिनांक 29.04.1989 से किया । इस नामा0 में ही नामा0 संख्या 513 का हवाला देते हुए वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी की आराजी में से 33 ऐयर रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया। इस समस्त कार्यवाही में वादी0 को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया जो कानूनन नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है । उपखण्ड अधिकारी डीग का वह आदेश जिसके आधार पर नामा0 संख्या 580 दर्ज हुआ प्रारंभ से ही प्रभावहीन व शून्य है विदी वजह वादीगण आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 के 33/37 हिस्सा पर दर्ज मकबूजा सरकार के स्थान पर अपने आपको बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज कराने एवं निस्फ गै0मु0 के स्थान पर डहरी प्रथम घोषित कराने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम सीकरी पट्टी की आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 के हिस्सा 33/97 पर दर्ज मकबूजा सरकार के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा निस्फ गै0मु0 की जगह डहरी प्रथम घोषित किया जावे तथा निस्फ गै0मु0 की जगह डहरी प्रथम घोषित की जावे साथ ही नामा0 संख्या 580 बाके ग्राम सीकरी पट्टी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में आ0ख0नं0 1939/1.90 में से 32/1.90 परिवर्तित किया है वही पूर्ववर्ती इन्द्राज वर्तमान रिकार्ड में दर्ज किये जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी द्वारा जबाव प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 22.12.2016 को उनका जबाव बंद किया गया । वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74, नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–50, नकल नामां0 संख्या 580, नकल नामां0 संख्या 513, वयनामा दिनांक 14.07.1986 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा बतौर मौखिक साक्ष्य वादी असरू पी0डब्ल्यू0–1, गवाह ताहिर पी0डब्ल्यू0–2, ईमामतियाा पी0डब्ल्यू0–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी संम्वत् 2071–74 बाके ग्राम सीकरी पट्टी तह0 नगर के खाता संख्या 733 पर आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 की बावत् – ''साधूसिंह वल्द जोगेन्द्र सिंह कौम सिख साकिन देह 2/9 हिस्सा मुशीद वल्द उस्मान 1/9 हिस्सा, हुसैना असरू पिसरान अडीमल व हिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा कौम मेव सा0देह खातेदार मकबूजा सरकार 33/97 हिस्सा'' दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–50 बाके ग्राम सीकरी पट्टी तह0 नगर के खाता संख्या 498 पर ख0नं0 1936/2195/0.97 की बावत् – '' हुसैना, असरू, उस्मान पिस0 अडीमल कौम मेव सा.देह खातेदार 64/97 हि0 मकबूजा सरकार 33/97 हि0 इं0नं0 580, 513

दर्ज है । वयनामा दिनांक 14.07.1986 के अवलोकन से आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 बाके ग्राम सीकरी पट्टी का बेचान बालमुकन्द पुत्र विशनदास कौम खत्री द्वारा हुसैना, असरू व उसमान पिस0 अडीमल कौम मेव के पक्ष में किया जाना साबित है तथा इं0नं0 513 के अवलोकन से उक्त वयनामा का इन्द्राज क्रेता हुसैना, असरू व उसमान पिसरान अडीमल कौम मेव के पक्ष में किया जाना साबित है तथा इं0नं0 513 के अवलोकन से उक्त वयनामा का इन्द्राज क्रेता हुसैना, असरू व उसमान के पक्ष में किया जाना साबित होता है । नकल नामां0 संख्या 580 के अवलोकन से यह साबित होता है कि यह नामां0 उपखण्ड अधिकारी डीग ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पर दिये गये आदेश क्रमांक 789 दिनांक 29.04.1989 के आधार पर दर्ज किया गया है जिससे आ0ख0नं0 1936/2195/0.97 बाके सीकरी पट्टी में मकबूजा सरकार हिस्सा 33/97 बाकी हुसैना बगैरह बदस्तूर तथा ख0नं0 1939/0.90 में से 1939/0.32 पर मकबूजा सरकार के स्थान पर जगदीश लाल पुत्र चुन्नीलाल कौम खत्री सा0देह खातेदार हिस्सा 32/190 बाकी हिस्सा 1.58 बदस्तूर मकबूजा सरकार दर्ज होना साबित है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से यह साबित होता है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के धारा 136 एल0आर0एक्ट0 में दिये आदेश दिनांक 29.04.1989 से रकबा कम किया गया है तथा वादीगण द्वारा उक्त आदेश को आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है । ऐसी स्थिति में वादीगण इस न्यायालय से कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है । वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं ।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

आदेश आज दिनांक ..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर